RESEARCH REVIEW JOURNALS
Volume-03
Issue-10
October-2018

ISSN: 2455-3085 (Online)
RESEARCH REVIEW International Journal of Multidisciplinary
www.rrjournals.com[Peer Reviewed Journal]

अंग्रेजों के आगमन के समय भारत की सामाजिक स्थिति

डॉ0 प्रियंका कुमारी

इतिहास विभाग, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा (बिहार)

भारतीय समाज सर्वप्रथमा एक ग्रामीण समाज है। मध्यकालीन युग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अकबर का एक अनुभवी प्रशासक ने हमें बताया कि ए.एच. 1002–1595 ए.डी. में, हिन्दूस्तान में 3200 कस्बे और 500,000 गॉव है। ये संख्याएँ 20वीं सदी में भी नहीं बदली। 1921 में जो जनगणना हुई तदनुसार 4,98,527 गॉव हैं, जिनमें 87 प्रतिशत भारतीय आबादी है।

ग्रामीण समाज गाँवों मे रहता था। गाँवों में गणतंत्र प्रणाली थी। वे राज्य जिनका मुख्य कर्त्तव्य मध्यकालीन युग में सीमित था। मुख्यतः नीति निर्धारण करना और सरकारी आय को एकत्रित करना, ये राज्य ग्रामीण कार्यों में व्यवधान उत्पन्न नहीं करते थे। गाँवों के विशाल ग्रामीण क्षेत्रफल की नीति निर्धारण का कार्य चौकीदारों पर निर्भर करता था, जो कि ग्रामीण समुदाय के नौकर थे। राज्य के नहीं। राज्य सरकार ग्रामीण जीवन में व्यवधान नहीं डालती थी, जब तक कि सरकारी आय बंद नहीं होती थी अथवा तब तक जब तक कि कोई भीषण अपराध नहीं होता था अथवा ग्रामीण क्षेत्र में राजकीय शक्ति का विरोध नहीं होता था। अंग्रेजी लेखकों ने यह विचारधारा बनाई है कि भारत में सामन्तवादी प्रणाली थी। यूरोपियन विचारधारा के अनुसार यह बात सही नहीं है। यूरोपियन सामंतशाही समाज के विपरीत, भारत में जमीनी सम्बन्ध जमींदारों की तरह से नहीं थे। किसान जमीन के दासों की तरह कार्य नहीं करते थे। उपनिवेश की रोमन विचारधारा जमींदार और कृषि श्रमिक के बीच अनुपस्थित थी बल्कि यह समबन्ध संस्कृतमय सामाजिक प्रणाली पर निर्भर था।

वेदों से पूर्व के समय में सामाजिक प्रणाली के अनुसार समाज चार वर्णों में बंटा हुआ था। अर्थात् ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शुद्र। ब्राह्मण पुजारी और धार्मिक नेता की तरह कार्य करते थे। मुस्लिम राज्य में मुस्लिमों का स्थायी निर्धारण किया है। ये मुस्लिम वर्तमान गाँवों में और नवीन निर्धारित बस्तियों में भी चले गए। वर्तमान गाँवों में, मुसलमानों ने अपने आवासीय घर एक दूसरे के समीप और सम्बन्धित गाँव की परिधि पर बनाए थे इस प्रकार मुसलमानों के घर गाँव में एक निश्चित विभाग में स्थित होते हैं। यह उसी प्रकार हआ जैसे एक वर्ग के लोग पास–पास गाँव में रहते हैं और यह रहने की जगह शेष लोगों की तरह ही होती है। जैसे किसी एक वर्ण या जाति के लोग पास–पास रहते हैं। मुसलमानों ने समय बीतने के साथ काजी और मौलवियों को अपना धार्मिक गुरू माना। इनके विपरीत जैसे हिन्दुओं में ब्राह्मण होते है इससे सामाजिक समरसता में कोई विघ्न नहीं पड़ा, क्योंकि हिन्दू सामाजिक प्रणाली के अनुसार इसमें एक ही छत के नीचे विभिन्न विचारधाराओं के लोग रह सकते हैं। कुछ राजनीतिक कारणों के लिये लोग धर्म को प्रयोग में लाते थे और ग्रामीण समाज की समरूपता में विघ्न डालते थे।

18वीं सदी में क्षत्रिय लोगों के सामाजिक स्तर में एक विशाल रूपान्तर हुआ। वैदिक प्रणाली के अनुसार वे अपने–अपने गाँव के प्रशासन यद्यपि यह स्थानीय नेता लोगों के प्रभाव में था परन्तु ग्रामीण प्रशासन का अधिकार जमींदारों के हाथ में पहुँच गया था। इन जमींदार लोगों ने, जाति या धर्म का विचार न करते हुए परम्परागत ग्रामीण अधिकारियों जैसे नम्बरदार या पटवारियों को चुना। नम्बरदार अपने गॉवों का अधिकारी और गाँव के मामलों का निपटाने का न्यायाधीश भी होता था। पटवारी उसके कर्त्तव्यों में और जिम्मेदारियों में हिस्सा बँटाता था और गाँव के रिकॉर्ड रखता था। उनके अपने पदों के कारण, उनको जमीनों का अधिकार था। फीस भी मिलती थी और कुछ उनके अधिकार भी थे। ये ग्रामीण अधिकारी अपने अधिकार का प्रयोग एक प्रजातांत्रिक ढंग से करते थे। उनकी जो शक्ति थी वह एक पंचायत के माध्यम से प्रयोग में आती थी। किसी भी गाँव का जो सबसे बड़ा जमींदार होता था। उसका प्रभाव गाँव के सभी लोगों पर रहता था। वैश्य समुदाय में बहुत परिवर्तन आ गया था। वैदिक प्रणाली की वर्ण–व्यवस्था ने अनेक जातियों को जन्म दिया और समाज में भयावह फूट उत्पन्न की। प्रत्येक व्यवसाय के अनुसार उसकी जात मानी जाती थी। निम्न स्तर के लोगों में गॉव के शिल्पकार जैसे बढ़ई, लुहार, सुनार, कुम्हार आदि आते थे। ये लोग गाँव के लोगों की आवश्यकतानुसार सामान का उत्पादन करते थे। इनलोगों के पास जमीन रहती थी जिसका किराया कम होता था या बिल्कुल भी नहीं होता था। इनलोंगों को गॉवों में जो वार्षिक अनाज उत्पन्न

RRIJM 2015, All Rights Reserved

होता था, उसका एक निश्चित अंश इनको मिलता था। यह एक भीख नहीं थी। परन्तु इनकी सेवाओं का पुरस्कार दिया जाता था। नाई उदाहरणस्वरूप किसान के बाल काटता था और दाढ़ी बनाता था। इसके लिये कोई रूपया नहीं लेता था। अतएव किसान अपनी उपज की वार्षिक आय में से कुछ भाग नाई को देता था। देश के विभिन्न भागों में इस प्रकार के शिल्पकारों की भिन्न प्रकार की संरचना होती थी। उनके देय और कर्त्तव्यों में भी काफी अंतर था। सभी शिल्पकार जिनकी सेवाओं की ग्रामवासियों को जरूरत पड़ती रहती थी वे गॉव के सेवकों के रूप में एक समुदाय बना लेते थे। शुद्र लोग उपरोक्त वर्णों की सेवा भी करते थे और अपने-अपने गाँवों की रक्षक के कर्त्तव्यों का भी निर्वाह करते थे। वे अपने कार्य के आधार पर उपजातियों में भी बँटे हुए थे। जुलाहे के धनक कहा जाता था। जो लोग सफाई का कार्य करते थे उनको चूड़ा कहा जाता था और जूता गाँठने वाले को चमार कहा जाता था। ये लोग गाँव की आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा करते थे और ग्रामीण समुदाय द्वारा उत्पन्न अनाज में से ही इनको दे दिया जाता था। इस प्रकार ग्रामवासी आत्मनिर्भर थे। इस आत्मविश्वास ने उनको अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने में सहायता की यद्यपि राष्ट्रीय स्तर पर अस्थिरता थी। यह 18वीं सदी की भारतीय ग्रामीण समजा की एक जनसाधारण स्थिति थी। इसकी जड़े ग्रामीण असुरक्षा व्यवस्था में थी।

उत्तरी पश्चिमी सीमा पर मुस्लिम फौजों के आक्रमण का 10वीं सदी से भारत मुकाबला करता रहा है। यद्यपि जनता पर शासन करने का अधिकार शासकों के बीच में युद्ध से तय किया जाता था। परन्तु हमलावर फौजों द्वारा गाँवों को कभी भी लूटा जा सकता था। अतएव भारतीय ग्रामीण समाज ने दीवारों से और किलों से सुरक्षित गाँवों में रहना प्रारम्भ किया अथवा इनलोगों ने गाँवों में सुरक्षा हेतु मीनारों का निर्माण किया यहाँ पर खतरा होने पर ग्रामवासी एकत्रित हो जाते थे। गाँव के मकान आपस में कोई मध्यस्थ स्थान बैठाने हेतु या बाग बगीचों के लिये नहीं होता था। इस प्रणाली में कुछ अपवाद ऐसे स्थानों में थे, जैसी ऊपरी आसाम, मद्रास का पश्चिमी तट और कुछ महत्वरहित मार्ग जो पहाड़ी क्षेत्र में स्थित थे। इसके अतिरिक्त उन्हें पहाड़ियों से और बाढ़ वाली नदियों से भी सुरक्षा प्राप्त हो जाती थी। इन क्षेत्रों में कोई भी नियमित ग्रामीण स्थल नहीं होता था और प्रत्येक कृषक जहाँ भी उसको ठीक लगता था अपना रहने का स्थान पर स्थित जगह बना लेता था। यह निवास स्थान खतों के मध्य भी हो सकता था या कोई ऊँचे स्थान पर स्थित जगह पर भी हो सकता था। नदी का किनारा भी।

भारतीय ग्रामीण व्यवस्था के अध्ययन से यह स्पष्ट है कि ग्रामवासियों के लिये वहाँ सुरक्षा कम थी। यही एक भाव था जिसके कारण कोई भी राज्य सशक्त नहीं हुआ और वह राज्य की शक्ति का सतत प्रयोग नहीं कर सका और अधिक समय तक भारत में राज्य को नहीं चला सका। ग्रामीण लोगों में असुरक्षा जो छायी रहती थी उसके कारण मनुष्य व्यक्तिगत स्वतंत्रता के साथ आचरण नहीं कर पाता था। इनलोगों के साथ-साथ डूबना या तैरना पड़ता था। यही एक बड़ा कारण था जो कि संयुक्त पारिवारिक प्रणाली को और सामुदायिक भावना को बनाये हुए था। यूरोप में मनुष्य का स्वतंत्र व्यक्तित्व बहुत विकसित हो गया था, जबकि भारत में मनुष्य का स्वतंत्र व्यक्तित्व गाँव तक ही सीमित था। ग्रामवासी अपने गाँव के प्रति वफादार होते थे। इस ग्रामीण वफादारी ने राष्ट्रीय वफादारी के उत्थान में व्यवधान उत्पन्न किया। इसी ग्रामीण राजभक्ति के कारण यूरोपियन यात्रियों ने भारत को विविध राष्ट्रों का समूह कहा। यह एक असंगत बात लगती है परंतु यह बात सत्य थी कि राष्ट्र के स्थान पर गाँव की राजभक्ति ने जमींदारी प्रथा को सशक्त बनाया। जमींदारी प्रथा ने राजनैतिक अस्थिरता उत्पन्न की जिसके परिणामस्वरूप ग्रामीण समुदायों को स्वतंत्र रहने के लिए बल मिला। मध्यकालीन युग में शासकों ने ''स्वतंत्र'' गाँवो पर सैनिक छावनियों के माध्यम से नियंत्रण रखा और जैसे-जैसे समय व्यतीत होता गया ये गाँव मध्यकालीन भारत के बड़े शहरी केन्द्रों में परिवर्तित होते गए।

संदर्भ ग्रंथ सूची :

1. टोवेन, ''दी फाल ऑफ दी मुगल एम्पायर'', पृ. 133।
2. वी.पी. एस., रघुवंशी, ''इण्डियन सोसायटी 18वीं सदी में'', पृ. 1।
3. यू. एन. घोसल, ''इण्डस्ट्री, ट्रेड और करेन्सी'' इन ओ.एल. चाबरिया एंग्लीयर ''ट्रेडीसनल इण्डिया'', पृ. 135।
4. वैरिस्ट, ''व्यू ऑफ बंगाल, कोटिड बाई जेम्स मिल, ''हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इण्डिया, भाग 3, पृ. 198।
5. बलजीत सिंह, अरबन मिडिल क्लास क्लाइम्बर्स, लखनऊ, 1958।
6. एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स फॉर ब्रिटिश इण्डिया (1935-40)।